सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 10/06/2024

नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले 03 अभियुक्तो को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार. नाबालिग बालिका को सुकशल किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.06.2024 को थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी द्वारा थाना सैफई पर सूचना दी गयी कि दिनांक 08.06.24 को आकाश पुत्र रामनरेश, प्रमोद पुत्र महेश एवं गोविन्द पुत्र चन्द्र मोहन वादी की नाबालिग पुत्री उम्र 13 वर्ष को बहला फुसलाकर कही ले गये है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 114/24 धारा 363/366 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 10.06.24 को थाना सैफई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0स0 114/24 मे वांछित अभियुक्त बलरई स्टेशन को जाने वाले तिराहे के पास खडे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **आकाश पुत्र रामनरेश, प्रमोद पुत्र महेश व गोविन्द पुत्र चन्द्र मोहन को बलरई स्टेशन को जाने वाले तिराहे से समय 08.40 बजे गिरफ्तार किया गया व नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया है।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम बिहारी थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 18 वर्ष।
2. प्रमोद पुत्र महेश निवासी ग्राम नौशहरा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद उम्र 30 वर्ष।
3. गोविन्द पुत्र चन्द्र मोहन निवासी ग्राम धौलपुर खेडा थाना बलरई जनपद इटावा उम्र 28 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 114/24 धारा 363/366 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीम –नि0 श्री बलराम मिश्रा प्रभारी थाना सैफई जनपद इटावा, उ0नि0 नूर मोहम्मद,का0 राजेश, का0 सोनी यादव।